15/9/16	साक्ष्य पेश नहीं की गई। आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी स्वतः बंद होने की हिदायत दी जाकर वास्ते गवाहान पत्रावली दिनांक 24/9/16 को पेश हो।
24/9/16	वकील फरीकैन उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी आज भी पेश नहीं किया और न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाकर पूर्वानुसार दिनांक 29/9/16 को पेश हो। इतना लिखने पर 120 [illegible] है।
29/9/16	वकील फरीकैन उपस्थित। वकील प्रतिवादी को समुचित हिदायत दिये जाने के बावजूद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है, इस लिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते फाईनल बहस दिनांक 5/10/16 को पेश हो। इतना लिखने पर वकील वादी रिबटल में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है। पत्रावली पूर्वानुसार नियत दिनांक 5/10/16 को पेश हो।
5/10/16	वकील फरीकैन उपस्थित। पूर्वानुसार वास्ते ~~बहस~~ दिनांक 12/10/16 को पेश हो।
13/10/16	वकील फरीकैन उपस्थित। पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 20/10/16 को पेश हो।
20/10/16	वकील फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26/10/16 को पेश हो।
26/10/16	वकील फरीकैन उपस्थित। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो।

पीठासीन अधिकारी- श्री मुकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
19/12	दावा	16.04.12	26.10.16

पुरुषोत्तम पुत्र पुन्या जाति जांगिड़ निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली(राज)
-वादी

बनाम

1. सुरेश
2. हंसराज पुत्रान पूरन
3. दिनेश
4. रामप्यारी पत्नि पूरन
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली।

सभी जाति जांगिड़ निवासी बूकना तह0 सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः- श्री विष्णु शर्मा वकील वादी।
श्री राजाराम मीना वकील प्रतिवादीगण

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं0185 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 186 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है। उक्त विवादित भूमि मुझ वादी की पुश्तैनी है। मेरे पिता पून्या पुत्र गंगाधर का उक्त भूमि मे हिस्सा 1/2 है। मुझ वादी के पिता पुन्या पुत्र गंगाधर का दिनांक 4.5.1996 को स्वर्गवास हो चुका है। जिनकी मृत्यु के बाद मै वादी अपने पिता के द्वारा छोडी गई सम्पत्ति का एकमात्र वारिस हूॅ। तथा उक्त विवादित भूमि पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हूॅ। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 चालाक किस्म के व्यक्ति है। जिन्होने राजस्व कर्मियों से साज कर उक्त विवादित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज करा लिया जो प्रारम्भ से ही गलत एवं शून्य है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने दिनांक 20.1.12 को धमकिया धमकी देते हुए कहा है कि अब हमउ क्त विवादित भूमि से बेदखल करके रहेगें। विवादित भूमि हमारे नाम है। तेरा उक्त भमि से कोई लेना देना नही है। मैने जब राजस्व रिकार्ड तहसील कार्यालय से नकल प्राप्त की तो प्रतिवादीगण की फर्जीकारी की जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए वादी ने विवादित आराजीयात की हिस्सा 1/2 की घोषणा खातेदारी अपने नाम की जाकर राजस्व रिकार्ड मे पृथक से इन्द्राज किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 2 ता 4 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित नही आये है लिहाजा इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिावदी सं0 1 ने उपस्थित होकर जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद वत्र के मद नं0 1 मे दर्ज विवादित आराजीयात हम प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी का विवादित आराजीयात से कोई वास्ता नही है। ना ही वादी ने फसल काश्त का लाभ उठाया था। वादी ने झूंठ एवं मनगढंत तथ्यों का सहारा लेकर दावा पेश किया था, ना ही वादी का कब्जा रहा है। वादी राजनैतिक, चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है। हमे नाजायज परेशान करने की वजह से दावा पेश किया गया है। इसलिए दावा वादी खारिज फरमाया जावे। वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किता छः तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी पुरषोत्तम का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने जमाबंदी नकल ग्रम बूकना सम्बत् 2066-69 प्रदर्श-1, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम बूकना सम्बत् 2050 से 2053 प्रदर्श-2 पेश किये है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य एवं ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। तनकीयाईज विवेचन निम्न प्रकार है।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

1. आया विवादित आराजीयात वादी की पैतृक आराजीयात है, जिसमे मेरे पिता पून्या पुत्र गंगाधर का हिस्सा 1/2 है? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। मुताबिक जमाबंदी सं0 2050-53 प्रदर्श-2 वादी के पिता पून्या पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/2 दर्ज स्पष्ट है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।
2. आया वादी अपने पिता का एकमात्र वारिस होने के कारण विवादित आराजीयात के हिस्से 1/2 की घोषणा खातेदारी कराकर इन्द्राज दुरस्ती कराने का अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी द्वारा द्वारा पेश जमाबंदी नकल सं0 2050-53 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी के पिता विवादित आराजीयात के हिस्सा 1/2 के खातेदार है। इसलिए वादी विवादित आराजीयात के हिस्से 1/2 की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। इसलिए यह तनकी भी वादी मे पक्ष मे तय की जाती है।
3. आया वादी वैधानिक तकास्मा कराकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। तनकी नं0 1 तथा 2 वादी के पक्ष मे तय हो चुकी है, इसलिए यह तनकी भी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।
4. आया विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य पेश की है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध मे तय की जाती है।
5. आया दावा वादी झूंठा एवं गनगढंत तथ्यों पर पेश किया है, इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जैसाकि उपर वर्णित तनकीयात से स्पष्ट है कि वादी ने ना तो कोई दस्तावेज पेश किया है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश की है। इसलिए यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
6. अनुतोषः- उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि तनकी नं0 1, 2 व 3 जो कि वादी को तय की जानी थी जिसे वादी ने बखूबी साबित किया है। तथा तनकी नं0 4 तथा 5 जो कि प्रतिादीगण को साबित करनी थी जो कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है। इसलिए वादी विवादित आराजीयात के हिस्से 1/2 की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात एवं उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह साबित है कि वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर ग्रम बूकना तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 185 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 186 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के हिस्से 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2016 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली